

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 156/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया SMECC, जीवन निधि, एल आई सी बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स श्री गणेश कम्युनिकेशन प्रापराईटर श्री जगनाथ अटल पुत्र श्री लालाराम अटल 121, पुराना घाट खानिया बन्धा, पुरानी चैक पोस्ट के पास, अगरा रोड, जयपुर।
2. जगनाथ अटल पुत्र श्री लालाराम अटल 138, बगराना अगरा रोड, कानोता, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋण एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:-बैंक प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से।



आदेश

दिनांक 14.10.2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को 26.09.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में 121, पुराना घाट खानिया बन्धा, पुरानी चैक पोस्ट के पास, अगरा रोड, जयपुर स्थित एन्टायर करन्ट एसेट्स एण्ड फिक्स एसेट्स आइई वा स्टॉक फिनिशड गुड्स, स्टोर, एण्ड स्पार्स एण्ड हाईपोथीकेटेड मूवेबल प्लांट मशीनरीज एण्ड अन्य करन्ट एसेट्स इत्यादि को हाईपोथीकेटेड कर कुल रूपये 3,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.05.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास हाईपोथीकेटेड सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को रजिस्टर्ड सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित नहीं है।
3. प्रार्थी के विभागीय प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.05.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद अप्रार्थी ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। अप्रार्थी द्वारा धारा 13 (2) का नोटिस प्राप्ति की पुष्टि में प्राप्ति रसीद

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

(Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से 121, पुराना घाट खानिया बन्धा, पुरानी चैक पोस्ट के पास, अगरा रोड, जयपुर स्थित एवं हाईपोथीकेटेड एन्टायर करन्ट एसेट्स एण्ड फिक्स एसेट्स आई दा स्टॉक फिनिशड गुड्स, स्टोर, एण्ड स्पार्स एण्ड मूवेबल प्लांट मशीनरीज एण्ड अन्य करन्ट एसेट्स इत्यादि का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।



6. आदेश अद्य दिनांक 14/10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर